22-10-21

अभिलेख उपस्थापित। सभी पक्ष उपस्थित। सभी पक्षों को सुना। वाद का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

मु० शमीम खाँ, पिता– स्व० मु० सुलेमान खाँ, साकिन–बिसाहा, थाना व अंचल– पथरगामा, जिला– गोड्डा के द्वारा पथरगामा अंचल के नामान्तरण वाद संख्या–32/1973–74 में अंचल अधिकारी, पथरगामा द्वारा दिनांक–18.10.1973 को नामान्तरण संबंधी पारित आदेश को रद्द करने हेतु नामान्तरण (म्यूटेशन) अपील आवेदन दिनांक–01.06.2019 एवं संशोधित आवेदन दिनांक–01.10.2019 को दाखिल किया गया है। साथ ही कालबाधित अपील अवधि को The Limitation Act की धारा–5 के तहत condone करते हुए अपील सुनने हेतु लिखित अनुरोध किया गया है। उक्त अपील आवेदन की सुनावाई हेतु पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिनांक–14.02.2020 को स्वीकृति दी गई है।

मामला अंचल–पथरगामा के मौजा–बिसाहा, थाना नम्बर–255 के जमाबंदी नम्बर–23 के अधीन दाग नम्बर–16 के तहत रकवा–01 बीघा–00 कट्ठा–00 धूर जमीन किस्म–बाड़ी, बिहार भूदान यज्ञ कमिटी, मुख्यालय– देवघर के द्वारा निर्गत भूमि वितरण प्रमाण–पत्र के आधार पर अंचल अधिकारी पथरगामा के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–32/1973–74 में दिनांक–18.10.1973 को मुसहरी कापरी पेसर– स्व० चमन कापरी साकिन–बिसाहा, थाना व अंचल–पथरगामा के नाम से किये गये नामान्तरण संबंधी आदेश के विरूद्ध अपीलवाद है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया कि प्रश्नगत भूमि अंचल–पथरगामा के मौजा–बिसाहा, थाना नम्बर–255 के खाता नम्बर–23 के अधीन खेसरा नम्बर–16 के तहत रकवा–01 बीघा–00 कट्ठा–00 धूर जमीन किस्म–बाड़ी का नामान्तरण, बिहार भूदान यज्ञ कमिटी, कार्यालय व मुख्यालय–देवघर द्वारा निर्गत गलत भूमि वितरण प्रमाण–पत्र के आधार पर मुसहरी कापरी पेसर–स्व० चमन कापरी साकिन–बिसाहा के नाम से किया गया है, जबकि अपीलकर्त्ता के पूर्वज उक्त भूमि के रैयत थे। अपीलकर्त्ता के पूर्वजों द्वारा अपनी उक्त जमीन, बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को दिया ही नहीं है, बावजूद इसके फर्जी तरीके से बिहार भूदान यज्ञ कमिटी कार्यालय व मुख्यालय–देवघर के फर्जी कागजात के आधार पर प्रतिवादी द्वारा गलत तरीके से उक्त भूमि का नामान्तरण निचली अदालत, अंचल कार्यालय, पथरगामा से करा लिया गया, जिसकी जानकारी भूमि रैयतों एवं उनके वंशजों को समय पर नहीं मिल पायी। विलम्ब से इसकी जानकारी मिलने के बाद उक्त भूमि रैयत के वंशज मो० शमीम खाँ पेसर–स्व० मु० सुलेमान खाँ, साकिन–बिसाहा के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित भूदान यज्ञ दानपत्र एवं भूमि वितरण प्रमाण–पत्र की जानकारी, जिला भूदान यज्ञ कार्यालय, देवघर, गोड्डा मुख्यालय–देवघर से माँग की गई। कार्यालय मंत्री, जिला भूदान यज्ञ कार्यालय, देवघर के द्वारा अपने पत्रांक–09/18–98 दिनांक–06.02.2019 के द्वारा पाँच पन्नों में प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई गई है, जिसे अपील आवेदन के साथ दाखिल किया गया है। जिला भूदान यज्ञ कमिटी के मौजावार दानपत्र सूची के क्रमांक–30 पर भूमि दाता का नाम सूलेमान खाँ ग्राम बिसाहा अंकित है, जिसमें भूमिदाता द्वारा दी गई जमीन का कुल रकवा–13 डिसमिल (चार कट्ठा) खेसरा नम्बर–16 के अधीन अंकित है। वहीं दान पत्र में तौजी नम्बर–481 थाना नम्बर–255 के खेसरा नम्बर–16 से 04 (चार) कट्ठा अर्थात् 13 डिसमिल जमीन सुलेमान खाँ पेसर

इमदाद खाँ के द्वारा दिनांक–18.09.1954 को भूदान यज्ञ को दिया गया दिखाया गया है। परन्तु बिहार भूदान यज्ञ कमिटी, मुख्यालय–देवघर द्वारा प्रमाण पत्र संख्या–7406 क्रम संख्या–21583 के द्वारा चमन कापरी पेसर–रंगी कापरी ग्राम–बिसाहा को कुल–04 बीघा 13 कट्ठा 10 धूर (02 एकड़ 93½ डिसमिल) भूमि का वितरण किया गया दिखाया गया है, जिसमें खेसरा संख्या–16 से 01 बीघा भूमि शामिल है जो प्रश्नगत भूमि है। बिहार भूदान यज्ञ कमिटी, मुख्यालय–देवघर द्वारा उक्त भूमि वितरण प्रमाण–पत्र के आधार पर ही अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा उक्त नामान्तरण वाद संख्या–32/73–74 में दिनांक–18.10.1973 को मुसहरी कापरी पेसर–चमन कापरी, ग्राम–बिसाहा के नाम से भूमि नामान्तरण करने एवं दिनांक–23.10.1973 को शुद्धि पत्र निर्गत करने संबंधी आदेश पारित किया गया है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिला भूदान यज्ञ कार्यालय, देवघर को भूमि दान सुलेमान खाँ पेसर– इमदाद खाँ, ग्राम–बिसाहा के द्वारा दिनांक–18.09.1954 को 04 (चार) कट्ठा किया गया दिखाया गया है, जबकि सुलेमान खाँ के पिता– इमदाद खाँ उस वक्त अर्थात् 18.09.1954 को जीवित थे। जमाबंदी रैयत इमदाद खाँ सरकारी सेवा में थे और वे सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पेंशनर रहे, जिसका पी.पी.ओ नम्बर–17690 है। इमदाद खाँ दुमका ट्रेजरी से 1955 तक स्वयं पेंशन उठाते रहे हैं परन्तु अस्वस्थ्य हो जाने के कारण अंतिम तीन माह का पेंशन वे स्वयं नहीं ले सके थे। इमदाद खाँ की मृत्यु दिनांक–09.08.1956 को हुई है, जो दाखिल किये जा रहे कोषागार पदाधिकारी, दुमका के ज्ञापांक–1960 दिनांक–24.07.1958 एवं 2602 दिनांक–15.10.1958 की छाया प्रति से स्वतः स्पष्ट है। साथ ही इमदाद खाँ के द्वारा प्राप्त पेंशन संबंधी अन्य कागजात की प्रति भी दाखिल किया जा रहा है, जिससे भी स्पष्ट होता है कि इमदाद खाँ 08.08.1956 तक जीवित थे और उनके द्वारा सरकारी पेंशन प्राप्त किया गया है। अपीलकर्त्ता मुस्लिम समुदाय के हैं एवं वे मुस्लिम विधि से शासित होते हैं। मुस्लिम विधि की अवधारणा है कि पिता के जीवित रहते उनके पुत्र को पैतृक सम्पत्ति में कोई हक या दखल नहीं होता है। साथ ही मुस्लिम विधि की अवधारणा है कि परिवार को संयुक्त नहीं माना जाता है बल्कि मुस्लिम विधि अन्तर्गत परिवार की अवधारणा पृथक होती है। भूमि दान देने अथवा पैतृक भूमि के विक्रय आदि का अधिकार पिता के जीवित रहते पुत्र को प्राप्त नहीं है। इसलिए यदि सुलेमान खाँ के द्वारा अपने पिता के जीवित रहते, बिना पिता की सहमति/हस्ताक्षर के उक्त भूमि जिला भूदान यज्ञ कमिटी को दान में दी गई है तो वे भूदान वैध नहीं है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा अंचल अधिकारी, पथरगामा के न्यायालय में समर्पित उक्त भूमि दानपत्र के अनुसार बिहार भूदान यज्ञ कमिटी, मुख्यालय–देवघर को मौजा–बिसाहा के खाता नम्बर–23, खेसरा नम्बर–16 से मात्र 04 कट्ठा भूमि दान के रूप में सुलेमान खाँ द्वारा दिया गया उल्लिखित है, परन्तु बिहार भूदान यज्ञ कमिटी, मुख्यालय–देवघर द्वारा भूमि का वितरण उसी खाता नम्बर–23, खेसरा नम्बर–16 से 01 (एक) बीघा चमन कापरी पेसर–रंगी कापरी ग्राम–बिसाहा के नाम निर्गत भूमि वितरण प्रमाण–पत्र के अनुसार दिनांक–16.10.1955 को किया गया दिखाया गया है, जो स्पष्ट रूप से फर्जी प्रतीत होता है। खेसरा संख्या–16 से भूदान यज्ञ कमिटी को मात्र 04 कट्ठा जमीन दान में

मिला तो फिर उसी खेसरा नम्बर–16 से 04 कट्ठा से अधिक एक बीघा जमीन वितरण का अधिकार बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को किसने दिया, यह विचारणीय प्रश्न है। इस संबंध में कार्यालय मंत्री, जिला भूदान यज्ञ कार्यालय, देवघर के द्वारा अपने पत्रांक–09/18–98 दिनांक–06.02.2019 के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मौजा बिसाहा के खाता नम्बर–23, खेसरा नम्बर–16 से भूदान में प्राप्त भूमि मात्र चार कट्ठा है, लेकिन कमिटी के पूर्व अधिकारी द्वारा प्राप्त भूमि से अधिक भूमि का वितरण आम सभा के माध्यम से किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा प्रतिवादी पक्ष के नाम से निर्गत भूमि वितरण प्रमाण–पत्र फर्जी एवं त्रुटिपूर्ण है, जिसके आधार पर किये गये नामान्तरण भी अवैध है। इसलिए अंचल अधिकारी, पथरगामा के नामान्तरण वाद 32/73–74 में पारित आदेश विधि के अनुरूप नहीं है, जिसे रद्द किया जाय।

प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया कि चूँकि प्रतिवादी के वंशज चमन कापरी को उक्त भूमि भूदान के तहत बिहार भूदान यज्ञ कमिटी से प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर प्रतिवादी के पिता और चमन कापरी के पुत्र मुसहरी कापरी ने भूदान से प्राप्त उक्त भूमि के नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल किया, जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा प्रतिवादी के पिता मुसहरी कापरी के नाम से उक्त भूमि नामान्तरित कर अलग खाता खोला गया है, जिसका नम्बर 14/1, 23/1, 71/1, 121/1, एवं 63/1 है और उसका रेंट रौल भी तैयार किया गया। प्रतिवादी पक्ष के द्वारा नामान्तरण के समय से ही सरकार को उक्त भूमि का राजस्व दिया जा रहा है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा दिये गये राजस्व से संबंधित लगान रसीद की प्रति दाखिल किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी पक्ष के द्वारा उक्त भूमि का लगातार लगान सरकार को दिया जा रहा है। राजस्व कर्मचारी के द्वारा उक्त भूमि का लगान रसीद भी प्रतिवादी पक्ष को निर्गत किया जाता रहा है। सभी प्रक्रिया को पूर्ण करके ही अंचल अधिकारी, पथरगामा द्वारा उक्त नामान्तरण वाद संख्या–32/73–74 में आदेश पारित किया गया है, जो वैध है।

प्रतिवादी पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया कि आवेदक के द्वारा रिविजन आवेदन–पत्र दिया गया है, जिसको सुनने की शक्ति समाहर्त्ता को है। इस स्तर पर रिविजन आवेदन को नहीं सुना जा सकता है। साथ ही इस मामले में अपील भी सुनने का निर्धारित समय मात्र 30 दिन है, जो कालबाधित है। 45 वर्षों के बाद दिये गये आवेदन सुनने योग्य नहीं है।

प्रतिवादी पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया कि बिहार भूदान यज्ञ एक्ट 1954 की धारा–14 के तहत प्रतिवादी पक्ष उक्त भूमि का वैध दखलकार है और यह यह धारा 14 ए के तहत उच्छेदी से सुरक्षित है। अपीलकर्त्ता के द्वारा भूदान यज्ञ एक्ट की धारा–17 के तहत उक्त दान के विरूद्ध समाहर्त्ता के समक्ष अपील नहीं किया गया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का भूदान की भूमि पर कोई हक नहीं है और न ही वे उक्त भूमि पर दखलकार है। इस लिए आवेदक के आवेदन खारिज करने योग्य है।

सभी पक्षों को सुना एवं दाखिल कागजात का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक–01.10.2019 को संशोधित अपील आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी सुनवाई की स्वीकृति पूर्व में ही दी जा चुकी है। इसलिए यह रिविजन का मामला नहीं बल्कि अपील का मामला है।

स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–32/73–74 में पारित आदेश का आधार प्रतिवादी के वंशज चमन कापरी को बिहार भूदान यज्ञ कमिटी से प्राप्त जमीन है, जिसके आधार पर निचली अदालत के द्वारा नामान्तरण संबंधी आदेश पारित किया गया है। सुलेमान खाँ जो जमाबंदी रैयत के पुत्र है, के द्वारा बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को मात्र 04 (चार) कट्ठा जमीन दान देने संबंधी कागज प्रस्तुत किया गया है लेकिन बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के द्वार प्रतिवादी के वंशज को चमन कापरी को उक्त खेसरा से 01 (एक) बीघा जमीन वितरित किया गया है जो संदिग्ध प्रतीत होता है। इस संबंध में जब प्रतिवादी पक्ष से पूछा गया कि जब दान में मात्र 04 (चार) कट्ठा जमीन दिया गया तो बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के द्वारा एक बीघा भूमि किस आधार पर वितरित किया गया ? इस पर प्रतिवादी पक्ष के द्वारा संतोषजनक उत्तर एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

उल्लेखनीय है कि बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के द्वारा चमन कापरी पेसर–रंजी कापरी, ग्राम–बिसाहा, अंचल–पथरगाभा को प्रमाण–पत्र संख्या–7406 के द्वारा दिनांक–16.10.1955 के द्वारा वितरित भूमि–04 बीघा 13 कट्ठा एवं 10 धूर जमीन के आधार पर ही चमन कापरी के पुत्र मुसहरी कापरी के द्वारा उक्त भूमि के नामान्तरण हेतु आवेदन दिनांक–25.04.1973 को दाखिल किया गया, जिसके आलोक में नामान्तरण वाद संख्या–32/73–74 की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। नामान्तरण हेतु दाखिल आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मुसहरी कापरी के द्वारा बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के प्रमाण–पत्र संख्या–7405 से प्राप्त भूमि के नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। जबकि निचली अदालत के अभिलेख के आदेश से स्पष्ट होता है कि सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के प्रमाण–पत्र संख्या–7406 दाखिल किया गया, जिसके आधार पर नामान्तरण संबंधी आदेश पारित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त नामान्तरण का आधार बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के द्वारा निर्गत भूमि वितरण प्रमाण–पत्र ही है एवं बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के द्वारा निर्गत भूमि वितरण प्रमाण–पत्र संदेहास्पद है। निचली अदालत के द्वारा बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के द्वारा निर्गत उक्त भूमि वितरण प्रमाण–पत्र का सत्यापन एवं जाँच नामान्तरण के पूर्व नहीं कराया गया। यदि उक्त प्रमाण–पत्र का निचली अदालत के द्वारा सत्यता की जाँच एवं सम्पुष्टि कराई होती तो बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के द्वारा निर्गत भूमि वितरण प्रमाण–पत्र की त्रुटि उजागर होता एवं 04 कट्ठा के स्थान पर 01 बीघा जमीन का नामान्तरण नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि निचली अदालत के द्वारा नामान्तरण संबंधी चलाई गई प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण हैं। निचली अदालत अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा जिस आधार पर उक्त नामान्तरण वाद की प्रक्रिया चलाई गई, वह आधार ही संदिग्ध है। इसलिए संदिग्ध आधार पर पारित आदेश वैध नहीं हो सकता।

अतः उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–32/73–74 में दिनांक–18.10.1973 को नामान्तरण संबंधी पारित आदेश को रद्द किया जाता है।

Digitally signed by MITHILESH KUMAR CHOUDHARY
Date: 2024.09.04 16:25:57 +05:30
Location: 192.168.29.124

आदेश की प्रति सभी संबंधितों को उपलब्ध करायें एवं इसकी एक प्रति ई–कोर्ट के विभागीय वेबसाइट (पोर्टल) पर अपलोड करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

22.10.24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
गोड्डा।

22.10.24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
गोड्डा।